न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 08 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1.	भगवानाराम पुत्र गोकलाराम जाति पालीवाल निवासी भाण्डियावास तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।	**बनाम** 1.पुखराज पुत्र मांगीलाल 2.श्रीमती मातीदेवी पत्नी पुखराज 3.सुश्री मीनादेवी पुत्री पुखराज 4.सुश्री केलादेवी पुत्री पुखराज 5.सुश्री निकिता पुत्री पुखराज 6.सुश्री अनु पुत्री पुखराज 7.सुश्री हीना पुत्री पुखराज जातियान सुथार निवासीयान भाण्डियावास रेस्पोडेंट संख्या 4 ता 7 नाबालिग जरिये कुदरती व विधिक गार्जन पिता पुखराज पुत्र श्री मांगीलाल रेस्पोडेंट संख्या 01 8.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारजी पचपदरा। 9.श्रीमान उप पंजीयक महोदय, पचपदरा जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व विविध संख्या 135 / 2013 बअनवान श्रीमती मातीदेवी वगैरा बनाम भगवानराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 28. 11.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रूघाराम कड़वासरा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री देवीसिंह महेचा रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 31.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट / प्रार्थी ने अपीलांट के विरूद्ध इस आशय का दावा मय आवेदन पेश किया कि मौजा भाण्डियावास के खेत खसरा संख्या 635 रकबा 35 बीघा भूमि में विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी भूमि में से प्रार्थीगण का हक–हिस्सा बनना पाया जाता है। अपीलाधीन आराजी खेत खसरा संख्या 635 रकबा 35 बीघा भूमि को गीलाराम, बाबुलाल, भुराराम, पुखराज पुत्रान मांगीलाल जाति सुथार निवासी भाण्डियावास के द्वारा सभी भाईयों ने अपने परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर अपने परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से रूपयों की आवश्यकता होने से सभी भाईयों व परिवार के सदस्यो ने मिलकर उक्त खसरान की भूमि को अपीलांट को जरिये रजिस्टरी दिनांक 11.02.2013 को बेचान की गई। उक्त रजिस्ट्रेशन चारो भाईयों द्वारा सर्वसहमति से उप पंजीयक कार्यालय पचपदरा में जाकर अपीलांट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पक्ष में रजिस्ट्री करवाई गई, उक्त भूमि के बतौर बैचान प्रतिफल राशि सभी भाईयों ने अपने हिस्से अनुसार प्राप्त की एवं उसी रोज अपीलांट को सभी ने मिलकर बिना विवादित कब्जा सुपुर्द किया एवं उसी रजिस्ट्री के आधार पर हल्का पटवारी व राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौका पर कब्जा देकर राजस्व रेकर्ड में अपीलांट के नाम अमल दरामद किया गया। रेस्पोडेंटगण द्वारा वादपत्र बेचान शून्य घोषित करवाने बाबत वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया हैं जिसमें उक्त बैचाननामा को शून्य घोषित करने मात्र सिविल कोर्ट को ही प्रावधान है जो अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। अपीलाधीन आराजी का अपीलांट रेकर्डेड काबिज खातेदार है तथा विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत के अनुसार ऐसी सूरत में गैर खातेदार अपीलांट खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का बैचान या हस्तांतरण का या यथास्थिति का स्थगन आदेश पारित करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध जाकर पारित करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी खेत खसरा संख्या 635 रकबा 35 बीघा भूमि को गीलाराम, बाबुलाल, भुराराम, पुखराज पुत्रान मांगीलाल जाति सुथार निवासी माण्डियावास के द्वारा सभी भाईयों ने अपने परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर अपने परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से रूपयों की आवश्यकता होने से सभी भाईयों व परिवार के सदस्यो ने मिलकर उक्त खसरान की भूमि को अपीलांट को जरिये रजिस्टरी दिनांक 11.02.2013 को बेचान की गई। उक्त रजिस्ट्रेशन चारो भाईयों द्वारा सर्वसहमति से उप पंजीयक कार्यालय पचपदरा में जाकर अपीलांट के पक्ष में रजिस्ट्री करवाई गई, उक्त भूमि के बतौर बैचान प्रतिफल राशि सभी भाईयों ने अपने हिस्से अनुसार प्राप्त की एवं उसी रोज अपीलांट को सभी ने मिलकर बिना विवादित कब्जा सुपुर्द किया एवं उसी रजिस्ट्री के आधार पर हल्का पटवारी व राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौका पर कब्जा देकर राजस्व रेकर्ड में अपीलांट के नाम अमल दरामद किया गया। रेस्पोडेंटगण द्वारा वादपत्र बेचान शून्य घोषित करवाने बाबत वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया हैं जिसमें उक्त बैचाननामा को शून्य घोषित करने मात्र सिविल कोर्ट को ही प्रावधान है जो अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। अपीलाधीन आराजी का अपीलांट रेकर्डेड काबिज खातेदार है तथा विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत के अनुसार ऐसी सूरत में गैर खातेदार अपीलांट खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का बैचान या हस्तांतरण का या यथास्थिति का स्थगन आदेश पारित करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में प्रमाणित है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी सदभावी क्रेता है इसलिए अपीलांट के विरूद्ध इंजेक्शन जारी करना न्यायसंगत नहीं है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है उनकी यदि आवश्यकता होने पर एक रिकॉर्डेड खातेदार को अपने हिस्से की भूमि बेचान की पूर्ण स्वतंत्रा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध जाकर पारित करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधीवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन कर पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी का आगे से आगे बेचान हस्तान्तरण किया जाता है तो अपूरणीय क्षति रेस्पोडेंटगण को होने की वजह से रेस्पोडेंटगण के वाद का मकसद समाप्त हो जाता है और सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटगण के पक्ष में प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। यदि अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जाता है तो रेस्पोडेंट को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसके अपीलांट अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी। अपीलाधीन आदेश की जानकारी मेरे अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.12.2017 को दी गई थी उस वक्त घरेलू काम हेतु बाहर गया हुआ था जिससे मैं दिनांक 28.12.2017 को अधिवक्ता से मिला एवं उक्त अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित कॉपी मांगी गई जो दिनांक 29.01.2018 को प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम अपीलाधीन आलोच्य आदेश की जानकारी हुई। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया तथा अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के कारण का विवरण नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का सदभावी क्रेता एवं रिकॉर्डेड खातेदार है। वक्त रजिस्ट्रर्ड बेचान से ही अपीलाधीन आराजी का अपीलांट काबिज खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध गैर खातेदार द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते है। इसलिए अपीलांट के विरूद्ध इंजेक्शन जारी करना न्यायसंगत नहीं है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है और आवश्यकता होने पर एक रिकॉर्डेड खातेदार को अपने हिस्से की भूमि बेचान की पूर्ण स्वतंत्रा है। इस दृष्टि से मामला पृथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व विविध संख्या 135/2013 बअनवान श्रीमती मातीदेवी वगैरा बनाम भगवानराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 को अपास्त किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

31/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 31.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner